

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	वन मंडल दक्षिण शहडोल के रकबा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वन मंडल उमरिया के रकबा 65.041 हे. वन/राजस्व वनभूमि कुल 80.59 हेक्टेयर वनभूमि में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक अन्तर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन एवं उपरी सतह पर मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को उपयोग पर देने हेतु वन्यजीवों के संरक्षण संबंधी शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 17/01/2023

स्थान: भोपाल


17/1/2023

(सुनील अग्रवाल)

राज्य वन विभाग
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य)
राज्यपाल, भोपाल